न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 08/2020

माधवसिंह पुत्र बाबू उम्र 48 साल जाति गूजर निवासी जुगला पट्टी कालौनी कस्बा उच्चैन जिला भरतपुर

.....अपीलान्टान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 13.01.2020 नायब तहसीलदार उच्चैन। पत्रावली संख्या 03/2020 उनवानी पटवारी हल्का फतेहपुर बनाम माधव अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री मोहनसिंह राणा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 28.01.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश नायब तहसीलदार उच्चैन दिनांक 13.01.2020 पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को अतिक्रमी आराजी खसरा नम्बर 878/152 रकवा 1.00 बीघा से बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दाहेराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2020 खिलाफ कानून एवं खिलाफ पत्रावली होने से काबिल खारिजी के है। पटवारी हल्का फतेहपुर की रिपोर्ट पर तहत न्यायालय ने दिनांक 10.01.2020 को अपीलान्ट को नोटिस दिया जिसका अपीलान्ट ने दिनांक 13.01.2020 को अपना जबाब प्रस्तुत किया और उसी दिन तहत न्यायालय ने निर्णय पारित कर विवादित खसरा नम्बर 878/152 गैर मुमकिन पोखर से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया जो पूर्णतया गैर कानूनी एवं अवैध है, क्योकि अपीलान्ट को जो नोटिस दिया गया है उसमें खसरा नम्बर 878/152 रकवा 1.00 वीघा अंकित जबकि निर्णय में 0.03 अंकित किया है लेकिन आदेश में कोई रकवा अंकित नहीं किया गया है। उन्होने यह भी जाहिर किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 152 के दक्षिण में खसरा नम्बर 197 रकवा 8.11 हैक्टे0 स्थित है जो गैर मुमकिन है कृषि योग्य नही है, उक्त खसरा नम्बर पर कस्बा उच्चैन में पूरी कालौनी बसी हुई है, जिसमें करीब–करीब 90 प्रतिशत पुख्ता मकान बने हुये है और ख0न0 197 पर ही अपीलान्ट काबिज है। अपीलान्ट का पच्चीस साल पुराना कब्जा लेकिन राजनैतिक पार्टीबन्दी के कारण पटवारी हल्का से नोटिस दिलाया गया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि नोटिस देने से पूर्व खसरा नम्बर 152 एवं 197 की कोई पैमाईश नहीं की गई है और न ही पटवारी हल्का के बयान लिये गये और न ही पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका अपीलान्ट को नहीं दिया गया है। धारा 91 एलआर एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिये सक्षम अधिकारी तहसीलदार है, नायब तहसीलदार को धारा 91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत नायब तहसीलदार उच्चैन के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2020 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कोई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट

के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2020 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि पत्रावली में उपलब्ध मौका पर्चा दिनांक 17.02.2020 में विवादित खसरा नम्बर 152 ग्राम जुगलापट्टी का सीमा ज्ञान कराने का अंकन है एवं उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन कि विवादित आराजी की पैमाईश किये बिना अतिक्रमण रिपोर्ट की गई है जो मान्य नहीं है। अपीलान्ट का यह कथन भी मानने योग्य नहीं है कि नायब तहसीलदार को 91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है क्योकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार को भी अपनी अधिकारिता क्षेत्र में न्यायालय सम्बन्धी कार्य की शक्तियां प्राप्त है। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अस्तुः अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ नायव तहसीलदार उच्चैन की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)